LATERAL ENTRY RULE

Lateral Entry

Those learners who have passed first of second year of graduation or first year of Post Graduation from any other university may also seek admission through lateral entry in equivalent programmers of Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur under the following recommendation.

1. Only those applications shall be considered for the lateral entry which is submitted within 03 years of passing the previous examination from institution
2. A Self-signed copy of the syllabus of the concerned course of the related year/years of the previous institution/University should be attached with the application for the lateral entry.
3. For the purpose of equivalence admission shall be allowed only when the syllabus of the completed course from the previous institution gets matched with the syllabus of the Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur up to the extent of 75 percent.
4. Equivalence Committee may make it compulsory for the applicant students to study the Extra Papers in case the syllabus of the previous institution does not match with the syllabus of Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur to the extent of 75 percent or in case some of the papers which the applicant student has already completed and which are in the syllabus of the Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur for the next year/years.
5. In case of the students admitted through the lateral entry, the marks obtained by them from the previous institution shall be converted into the percentage as per the practice in vogue in Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur for issuing the mark sheet and for determining the division of the student.
6. Students obtaining degree through the lateral entry shall not be entitled for the University Gold Medals and Merit list.
7. Application for the lateral entry shall be considered in the University Headquarters only and Study centers shall have to send such applications to the Headquarters. Study centers may admit such students after the recommendation of the Compitant Authority
8. The system of study and evaluation for the student admitted through the lateral entry shall remain the same as for the other students of the same class.

** अधिसूचना क्रमांक 92/अका./2020 बिलासपुर दिनांक 03/07/2020 द्वारा संशोधित (विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की 94वीं आपात बैठक दिनांक 30/06/2020 के प्रस्ताव क्रमांक 05 के निर्णय के आधार पर)

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU CG Bilaspur

पार्श्व प्रविष्ठि

ऐसे विद्यार्थी जिन्होने स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हे पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर के समतुल्य पाठ्यक्रम– यथा ये पाठ्यक्रम या विषय जिनमें पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है– में द्वितीय/तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रविष्ठि निम्न प्रावधानों के आधार पर देय होगा–

1. पूर्व संस्थान से उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा के उपरांत 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर ही पार्श्व प्रविष्टि के लिये विचार किया जायेगा।
2. पार्श्व प्रविष्ट के लिये आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्व संस्थान/विश्वविद्यालय के तत्संबंधित कार्यक्रम के संबंधित वर्ष/वर्षो का पाठ्यक्रम स्व–हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।
3. समतुल्यता के लिये पूर्व संस्थान में पूर्ण किये पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर के पाठ्यक्रम से मिलान होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।
4. यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर के पाठ्क्रम से न मिलता हो अहथवा पाठ्यक्रम के ऐसे कुछ विषय/प्रश्नपत्र जो आवेदक ने पूर्व में पूरे कर लिये हों और पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर के पाठ्क्रम में जो अगले वर्ष/वर्षो में चल रहें हो तो ऐसी स्थिति में आवेदक छात्र के लिये समतुल्यता समिति पाठ्यक्रम के ऐसे पूर्व वर्ष/वर्षो के कुछ प्रश्नपत्रों का अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक कर सकेगी।
5. पार्श्व प्रतिष्टि के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर में प्रचलित ग्रेड में परिवर्तित किया जायेगा जो अंतिम अंकतालिका में तथा छात्र की श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य होगा।
6. पार्श्व प्रविष्टि से उपाधि प्राप्त छात्र विशवविद्यालय स्वर्ण पदक एवं प्रावीण्य सूची के लिये मान्य नहीं होंगे।
7. पार्श्व प्रविष्टि से संबंधित आवेदन पर केवल विश्वविद्याल मुख्यालय में विचार किया जायेगा और अध्ययन केन्द्रों को ऐसे आवेदन पत्र मुख्यालय भेजने होंगे, समतुल्यता समिति की संस्तुति के उपरांत ऐसे छात्रों का प्रवेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जा सकता है।
8. उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्रों के लिये अध्ययन व मूल्यांकन की जो व्यवस्था होगी पार्श्व प्रविष्ट के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिये भी वही लागू होगी।

** अधिसूचना क्रमांक 92/अका./2020 बिलासपुर दिनांक 03/07/2020 द्वारा संशोधित (विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की 94वीं आपात बैठक दिनांक 30/06/2020 के प्रस्ताव क्रमांक 05 के निर्णय के आधार पर)

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)